

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी-अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 208/2018
GCMS CASE NO-2018/00214

विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

-निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा0प0 बीरमाना तहसील सूरतगढ़
2. सरपंच ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़
3. रामकुमार पुत्र मल्लूराम जाति कुम्हार निवासी 2 डीडब्ल्यूएम ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़

-गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित:-

1. श्री ऋषिराज मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़
2. श्री अजय अरोड़ा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03

:: निर्णय ::

दिनांक : 15.06.2023

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 रामकुमार पुत्र मल्लूराम जाति कुम्हार निवासी 2 डीडब्ल्यूएम के नाम से पट्टा संख्या 06 पट्टा बुक संख्या 138 दिनांक 22.05.2017 को जारी कर दिया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 को उक्त पट्टा जारी करवाने का अधिकार नहीं था तथा ग्राम पंचायत को भी धारा 157 (1) पंचायत राज अधिनियम के तहत उक्त पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। पंचायती राज अधिनियम के नियम 152 के तहत उक्त भूखण्ड जरिये नीलामी ही आवंटित किया जा सकता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किया जावे।

निगरानीकर्ता की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकर्तागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 को भेजे गये नोटिस विधिवत रूप से तामील होने के बावजूद भी आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे हैं।

निगरानीकर्ता की ओर से श्री ऋषिराज मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय अरोड़ा उपस्थित हुए। अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य एवं जैर निगरानी भू-खण्ड पर कब्जा होने के संबंध में शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा दिनांक 22.05.2017 को जारी किया गया था। ग्राम वासियों द्वारा निगरानीकर्ता के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने पर निगरानीकर्ता को उक्त पट्टों की जानकारी हुई। शिकायतों के भौतिक सत्यापन व जांच हेतु एक कमेटी का गठन दिनांक 23.01.2018 को किया गया था। उक्त जांच कमेटी द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट अप्रैल 2018 में सौपी गई। उक्त रिपोर्ट से निगरानीकर्ता को जैर निगरानी पट्टा जारी होने का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ जिस पर निगरानी स्तर पर



अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर को सूचना दी गई। विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर बिना किसी विलम्ब के निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा जान बूझकर देरी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 ने दौराने बहस अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 काफी वर्षों से जैर निगरानी भूखण्ड पर काबिज है, जिसका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है तथा पत्रावली में भौतिक सत्यापन बाबत कोई रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। निगरानीकर्ता को उक्त पट्टों की भली भांती जानकारी थी। लगभग 5 वर्षों बाद यह निगरानी दायर की गई है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पट्टे जारी करने की कार्यवाही में विकास अधिकारी पंचायत समिति का कोई हस्तक्षेप/योगदान नहीं होता है। जिससे यह जाहिर होता है कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ को ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा जारी किये गये जैर निगरानी पट्टे की जानकारी नहीं हो पाई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित देरी का कारण उचित व संतोषजनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दौहराया एवं अतिरिक्त कथन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा खाली भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत जारी किया गया है जबकि उक्त नियमों के तहत पचास वर्ष से अधिक पुराने घरों का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा खुली निलामी द्वारा भूखण्ड राशि जमा ना करवा कर सीधे ही पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि भी की है। अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 03 द्वारा मल्लुराम (गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के पिता) के बीपीएल राशन कार्ड की प्रति पेश की गई है। यदि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 बीपीएल परिवार की श्रेणी में आता है, तब भी पंचायती राज अधिनियम के तहत बीपीएल परिवार को पट्टा जारी किया जा सकता है, ना कि परिवार के सभी सदस्यों को। ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा हस्तगत पट्टे के अलावा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के पिता मल्लुराम पुत्र फूसाराम के नाम से पट्टा संख्या 15 पट्टा बुक संख्या 132 दिनांक 22.05.2017, संदीप पुत्र मल्लुराम के नाम से पट्टा संख्या 21 पट्टा बुक संख्या 132 दिनांक 22.05.2017, सुभाष चन्द्र पुत्र मल्लुराम के नाम से पट्टा संख्या 43 पट्टा बुक संख्या 132 दिनांक 22.05.20217 जारी किये गये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए बीपीएल परिवार के सभी सदस्यों के नाम से पट्टा जारी कर दिया जो निरस्ती योग्य है। ग्राम पंचायत जारी उक्त पट्टों के विरुद्ध भी इस न्यायालय में निगरानी दायर की गई है। उक्त पट्टा पंजीबद्ध भी नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

वकील गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 ने दौराने बहस अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के नाम से जारी पट्टा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर ही जारी किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 काफी वर्षों से इस भूखण्ड पर काबिज है, एवं बीपीएल परिवार के अन्तर्गत आता है तथा अपने हक में धारा 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा जारी करवाने का अधिकारी था। गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 इसी ग्राम पंचायत का निवासी है तथा जैर निगरानी भूखण्ड पर मकान बनाकर रिहायश कर रहा है। इस संबंध में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के पिता मल्लुराम के नाम से जारी दस्तावेजात यथा कार्यालय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली के बिल तथा मकान की फोटो पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पूर्ण जांच उपरांत ही पट्टा जारी किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार "जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो राशि जमा करवा कर पट्टा जारी किया जा सकेगा" नियम 157 (क) अनुसार— 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के लिए 100/-राशि निर्धारित की गई है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार उक्त पट्टा पुराने घर पर कब्जा होने की स्थिति में या संनिर्मित किये जाने की स्थिति में जारी किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने से पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 03 को प्लाट/भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में ही, समस्त कार्यवाही कर जैर निगरानी प्लाट/भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। वकील गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा फार्म न. 3 के साथ प्रस्तुत मकान की फोटो से जाहिर होता है कि उक्त मकान 50 वर्ष पुराना नहीं है। वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा प्रकरण में सुभाष के नाम से जारी बिजली बिल की प्रति पेश की है, उक्त बिल वर्ष 2019 का है। प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त दस्तावेजात जैर निगरानी भूखण्ड से ही संबंधित है। अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 03 द्वारा मल्लुराम (गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के पिता) का बीपीएल राशन कार्ड की प्रति पेश कर कथन किया गया है गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 बीपीएल परिवार की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत बीपीएल परिवार के सदस्यों को पट्टा जारी कर सकती है। पंचायती राज अधिनियम के तहत बीपीएल परिवार को पट्टा जारी किया जा सकता है, ना कि परिवार के सभी सदस्यों को। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार पंचायत, ग्राम आवंटितियों में 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों को जनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी विकास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। परन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा 300 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। निगरानीकर्ता अनुसार ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के नाम जारी हस्तगत पट्टे के अलावा उसके पिता मल्लुराम पुत्र फूसाराम के नाम से पट्टा संख्या 15 पट्टा बुक संख्या 132 दिनांक 22.05.2017, संदीप पुत्र मल्लुराम के नाम से पट्टा संख्या 21 पट्टा बुक संख्या 132 दिनांक 22.05.2017, सुभाष चन्द्र पुत्र मल्लुराम के नाम से पट्टा संख्या 43 पट्टा बुक संख्या 132 दिनांक 22.05.20217 जारी किये गये है, जिनके विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी दायर की गई है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार हस्तगत निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा विधि विरुद्ध एवं त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के नाम से जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 06 बुक संख्या 138 दिनांक 22.05.2017 किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बीरमाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ जिला गंगानगर